

मूल वाद में फाइनल डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

थमल आत्मज भैरूलाल जाति
लशकरी निवासी मकान नं0 180
सन्त विहार कोटा
2.चेतन आत्मज भैरूलाल जाति चमार
लशकरी निवासी मकान नं0 180 बसन्त
विहार कोटा

-वादीगण

बनाम

1.सत्यनारायण दाधीच आत्मज गोपीलाल जी
दाधीच
2.भैरूलाल आत्मज छीतरलाल जाति चमार लशकरी
निवासी मकान नं 0 180 बसन्त विहार कोटा
3.परमानन्द बोहरा आत्मज बजरंगलाल लशकरी
निवासी नयानोहरा तहसील लाडपुरा कोटा
4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा
जिला कोटा

-प्रतिवादी

--: वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955:--

मुकदमा नं. 41/2023 (दावा)

इस वाद में आज तारीख को वादीगण के वाद में फाइनल डिक्री जारी की जाती है कि
वादी का वाद अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । वाद के खर्चे लेखे ...
Xरुपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ...प्रतिषत प्रतिवर्ष की
दर से ब्याज सहित Xद्वारा Xको दी जाए।

यह डिक्री आज तारीख 24 माह 02 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की
मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	प्रतिवादी	रुपये
1. वादपत्र के लिये स्टाम्प		शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प	
2 शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.....रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			

उपखण्ड अधिकारी
कोटा